



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102021-230706
CG-DL-E-25102021-230706

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4089]
No. 4089]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 25, 2021/कार्तिक 3, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 2021/KARTIKA 3, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
(अन्वेषण प्रभाग-V)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4444(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा (1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा में मुम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पणजी, गोवा को उत्तरी गोवा जिले के लिए विशेष न्यायालय के रूप में एवं ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मडगांव, गोवा को दक्षिण गोवा के लिए विशेष न्यायालय के रूप में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 280क की उपधारा(1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 के प्रयोजनार्थ गोवा राज्य में अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर अभिहित करती है।

[फा. सं. 285/25/2021-आईटी (अन्वेषण-V)सीबीडीटी/तारीख 25/10/2021 की अधिसूचना सं. 123/2021]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी) (अन्वेषण), सी.बी.डी.टी.